



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062022-236721
CG-DL-E-21062022-236721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944

No. 440]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISHTHA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 461(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 में,-

(i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः :-

“3. वेतन.- (1) अध्यक्ष को घर और कार की सुविधा के बिना प्रति माह चार लाख पचास हजार रुपये का समेकित वेतन प्राप्त होगा।

(2) एक पूर्णकालिक सदस्य को घर और कार की सुविधा के बिना प्रति माह चार लाख रुपये का समेकित वेतन प्राप्त होगा।

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः :-

"4. भविष्य निधि, उपदान और पेंशन. - (1) अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण की भविष्य निधि में योगदान करने के लिए पात्र होंगे और इस संबंध में लागू रीति तथा निबंधन और शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही होंगे जैसे वे प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों पर उनकी भविष्य निधि के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन लागू होते हैं।

(2) अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण में प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन या उपदान या किसी भी सेवानिवृत्ति से पूर्व के किसी भत्ते या लाभ के भुगतान के हकदार नहीं होंगे।

(iii) नियम 5 का लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः :-

"6. यात्रा भत्ता.-(1) अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति पर, (क) प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने के लिए निवास स्थान से यात्रा करने और प्राधिकरण के साथ अवधि की समाप्ति पर, परिवार के साथ गृह नगर की यात्रा करने के हकदार होंगे (परिवार द्वारा की गई यात्रा के संबंध में सहित); और (ख) भारत के भीतर और बाहर दौरे या प्रशिक्षण पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और व्यक्तिगत प्रभावों के परिवहन पर खर्च की प्रतिपूर्ति के उसी वेतनमान और दरों पर हकदार होंगे, जो कि क्रमशः भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव पर लागू होते हैं।"

(v) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः :-

"7. आवास. - अध्यक्ष और किसी पूर्णकालिक सदस्य को निवास के लिए कोई घर आवंटित नहीं किया जाएगा।";

(vi) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः :-

9. चिकित्सा सहायता. - अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण के साथ कार्यकाल के दौरान ऐसी चिकित्सा सहायता का हकदार होगा जो प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएः

परंतु यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य सरकारी सेवा से या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगमित निकाय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है जिसमें ऐसी सेवा के लिए चिकित्सा सहायता के अनुदान के लिए नियमों का एक अलग सेट है, वह, ऐसे नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुन सकता है।";

(vii) नियम 10 का लोप किया जाएगा;

(viii) नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

11. छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण -

(1) छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष के संबंध में केंद्रीय सरकार होगी और पूर्णकालिक सदस्य के संबंध में अध्यक्ष होगा।

(2) अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए तीस दिनों की अर्जित छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु छुट्टी खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को अग्रिम में पंद्रह दिनों की दो किस्तों में अर्जित छुट्टी डाली जाएगी:

परंतु और यह कि पिछले छमाही वर्ष के अंत में जमा अर्जित छुट्टी को अगले छमाही वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के द्वारा शासित होगा।

(4) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय अपने खाते में अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत भाग का नकदीकरण करने हेतु हकदार होगा, इस शर्त के अध्यधीन कि नकदीकरण की अनुमति किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम बारह दिनों के लिए केवल एक बार दी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी कैलेंडर वर्ष में आठ दिनों की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे।

(6) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में बीस दिनों की दर से चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर अर्ध वेतन छुट्टी के हकदार होंगे, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में जमा की जाएगी और अर्जित छुट्टी के दौरान अर्ध वेतन के लिए छुट्टी का वेतन स्वीकार्य छुट्टी वेतन का आधा होगा।

(7) आधे वेतन पर छुट्टी को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के विवेक पर पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि चिकित्सा आधार पर लिया जाता है और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

(ix) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12. छुट्टी यात्रा रियायत—छुट्टी यात्रा रियायत भारत सरकार के सचिव और भारत सरकार के अपर सचिव पर लागू उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के लिए क्रमशः स्वीकार्य होगी.”;

(x) नियम 13 में, उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“(5) एक अंशकालिक सदस्य उसके द्वारा प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति दिन छह हजार रुपये के बैठक फीस के रूप में भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा:

परंतु इस तरह के बैठक फीस की हकदारी प्राधिकरण की दस से अधिक बैठकों तक सीमित नहीं होगी, जिसमें एक मास में अंशकालिक सदस्य द्वारा भाग लिया जाएगा।

(xi) नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“14. सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें. — (1) अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य अपने कार्यालय के कार्यों के निष्पादन में हितों के टकराव की अनुपस्थिति सुनिश्चित करेगा और उसके पास ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा जो उसके कार्यालय के कार्यों के निष्पादन को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने की संभावना है।

(2) इन नियमों, सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सेवाओं के अलावा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, अध्यक्ष के मामले में भारत सरकार के सचिव के स्तर पर और पूर्णकालिक सदस्य के मामले में भारत सरकार के अपर सचिव पर लागू होती है।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी भी बैठक फीस के हकदार नहीं होंगे।

[फा. सं. आर-16012/02/2021-बीमा.।]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 841(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 827(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2008, सा.का.नि. सं. 307(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. सं. 269(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2014 और सा.का.नि. सं. 580(अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 2022

G.S.R. 461(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Rules, 2000, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Rules, 2000, —

(i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: —

“3. Pay. — (1) The Chairperson shall receive a consolidated salary of rupees four lakh fifty thousand per month, without the facility of house and car.

(2) A whole-time member shall receive a consolidated salary of rupees four lakh per month, without the facility of house and car.”;

(ii) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely: —

“4. Provident fund, gratuity and pension. — (1) The Chairperson and a whole-time member shall be eligible to contribute to provident fund of the Authority and the manner and terms and conditions applicable in this regard shall, mutatis mutandis, be the same as those applicable to other employees of the Authority under regulations made by the Authority for their provident fund.

(2) The Chairperson and a whole-time member shall not be entitled to payment of pension or gratuity or any post-retirement allowance or benefit for service rendered in the Authority.”;

(iii) rule 5 shall be omitted;

(iv) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely: —

“6. Travelling Allowance.—(1) The Chairperson and a whole-time member at the time of appointment, shall, (a) be entitled to travel from place of residence to join the Authority and on the expiry of the term with the Authority, to travel to home town with family (including in respect of journey undertaken by family); and (b) on tour or training within and outside India, be entitled to journey allowance, daily allowance and reimbursement of expense on transportation of personal effects at the same scales and rates as are applicable to Secretary and Additional Secretary to the Government of India, respectively.”;

(v) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: —

“7. Accommodation. —The Chairperson and a whole-time member shall not be allotted any house for residence.”;

(vi) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely: —

“9. Medical assistance. —The Chairperson and a whole-time member during tenure with the Authority shall be entitled to such medical assistance as may be decided by the Authority:

Provided that if the Chairperson or a whole-time member has retired from Government service or from the service of a public sector entity or a body corporate established by a Central or State Act which has a separate set of rules for the grant of medical assistance for such service, he may, opt to be governed by such rules.”;

(vii) rule 10 shall be omitted;

(viii) for rule 11, the following rule shall be substituted, namely: —

“11. Leave and leave encashment. — (1) The authority competent to sanction leave shall be the Central Government in respect of the Chairperson, and the Chairperson in respect of a whole-time member.

(2) A Chairperson and a whole-time member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service:

Provided that the leave account shall be credited with earned leave in advance in two instalments of fifteen days each, on 1st January and 1st July of every calendar year:

Provided further that the earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year.

(3) The payment of leave salary during the leave shall be governed by the provisions of rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time, subject to the condition that encashment shall be permitted only once during any calendar year for a maximum of twelve days in a calendar year.

(5) The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to eight days casual leave in a calendar year.

(6) The Chairperson and a whole-time member shall be entitled to half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each complete year of service, to be credited in advance in two instalments of ten days each, on 1st January and 1st July, of every calendar year and leave salary for half pay shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave.

(7) Leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairperson or a whole-time member, if is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate by competent medical authority.”;

(ix) for rule 12, the following rule shall be substituted, namely: -

“12. Leave travel concession. —Leave travel concession shall be admissible to the Chairperson and a whole-time member in accordance with the provisions applicable to Secretary to Government of India, and Additional Secretary to Government of India, respectively.”;

(x) in rule 13, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(5) A part-time member shall be entitled to receive an allowance by way of sitting fee of rupees six thousand per day, for attending meeting of the Authority by him:

Provided that the entitlement to such sitting fee shall be restricted to not more than ten meetings of the Authority attended by the part-time member in a month.”;

(xi) for rule 14, the following shall be substituted, namely:-

“14. Other terms and conditions of service. — (1) The Chairperson and a whole-time member shall ensure absence of conflict of interest in the performance of the functions of his office and shall not have any such financial or other interests as are likely to prejudicially affect the performance of the functions of his office.

(2) Service conditions other than those expressly provided for under these rules, the Civil Service (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules, 1965 shall be such as are applicable to officers of the Central Government, at the level of Secretary to Government of India, in the case of the Chairperson, and Additional Secretary to Government of India, in the case of a whole-time member.

(3) The Chairperson and a whole-time member shall not be entitled to any sitting fee for attending meetings of the Authority.”.

[F. No. R-16012/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 841(E), dated the 25th October, 2000 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 827 (E), dated the 1st December, 2008, G.S.R. 307(E), dated the 19th April, 2012, G.S.R. 269(E), dated the 4th April, 2014 and Corrigendum vide G.S.R. 580(E), dated the 24th July, 2015.